न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नावां, जिला डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी :– विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 51 / 2024

वादी

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार नावां

बनाम

प्रतिवादीगण

बिरदाराम पुत्र छोगाराम जाति मेघवाल निवासी–सरगोठ तहसील कुचामन सिटी

वाद अधीन धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : –

वादी– राजपैरोकार उपस्थित।
प्रतिवादी की ओर अधिवक्ता श्री कन्हैयालाल शर्मा उपस्थित

दिनांक : 31/07/2024

– : : निर्णय : : –

वादी के वाद का संक्षेप में सार इस प्रकार हैं कि वादी ने वाद पत्र कर निवेदन किया कि ग्रगाम जाबदीनगर पटवार मण्डल जाबदीनगर भू.अ. निरीक्षक नावां तहसील नावां के वर्तमान खसरा नं. 165 रकबा 1.2500 हक्टयर किस्म चाही–3, जाव–3 प्रतिवादी की खातेदारी में आयी हुई है, जो कृषि प्रयोजनार्थ है। प्रतिवादी द्वारा उक्त सम्पूर्ण भूमि का उपभोग बिना किसी समक्ष प्राधिकारी की वैध अनुमति एवं स्वीकृति के मौके पर कृषि भूमि का नुक्शान पहुचाते हुये अकृषि प्रयोजनार्थ जाकर नमक उत्पादन के काम मे ली जा रही है, जिससे कृषि भूमि का स्वरूप नष्ट हो चुका है। इस संबध में श्रीमान उपखण्ड अधिकारी नावां द्वारा जरिये पत्रांक : 2022 / 1105 दिनांक 25.08. 2022 द्वारा सांभर झील क्षेत्र में औधोगिक प्रयोजनार्थ भूमि सम्परिवर्तन नहीं किये जाने हेतु पाबंद फरमाया गया है। जिसके अनुसार ठोस योजना तैयार की जा रही है जिसमें कोर, बफर एवं आस–पास के प्रभाव वाले क्षेत्र को परिभाषित किया जावेगा, जिसे औधोगिक उपयोग हेतु परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यदि अधिक समय अवधि का इन्तजार किया गया तो प्रतिवादी [illegible] भूमि को नुक्शान पहुंचाकर लोकहितके प्रतिकूल कार्य कर देगें [illegible] ही समाप्त हो जायेगा। इस प्रकार खातेदारान द्वारा बिना स[illegible] प्राधिकारी की अनुमति के लवण उत्पादन उपयोग व भूमि में परिवर्तन करने पर उक्त भूमि पर [illegible] रहने तथा रिक[illegible] उनका नाम दर्ज रहना उचित नहीं है। अतः उक्त भूमि को सिवाय चक घोषित कर राजकीय भूमि घोषित किया जाना न्यायहित में जरूरी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.09.14 14:41:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

अतः वाद वादी का वाद अधीन धारा 177 आर.टी.एक्ट स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 165 रकबा 1.2500 हेक्टयरस भूमि राजकीय भूमि घोषित किये जाने आदेश प्रदान करावे।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी बिरदाराम की और से अधिवक्ता श्री कन्हैयालाल शर्मा ने वकालत नामा मय जबाव दावा दिनांक 30.07.2024 को पेश किया। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब में अभिकथन किया कि वाद पत्र के पैरा में वर्णित तथ्य राजस्व ग्राम जाबदीनगर के वर्तमान खसरा नं. 165 रकबा 1.2500 हैक्टेयर किस्म चाही–3 प्रतिवादीगणो कके नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदारी में दर्ज अवश्य है, किन्तु उक्त भूमि का प्रयोजन कृषि नही होकर कार्यालय तहसीलदार (विहित प्राधिकारी) नावां कके संपरिवर्तन आदेशांक : 9596 दिनांक 02.05.1996 से नमक उत्पादन हेतु तत्कालीन खातेदार गोपीराम/भंवरलाल, जाट निवासी जाबदीनगर तहसील नावां के पक्ष में संपरिवर्तन की हुई है। और खातेदार गोपीलराम ने उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण भूमि जरिये उप पंजीयक कार्यालय नावां के रजिस्टर्ड बैचाननामा दजस्तावेज क्रमांक : 2008000336 दिनांक 27.02.2008 से प्रतिवादी बिरदाराम को बैचान किया है। जिसका अंकन राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लापरवाही से राजस्व जमाबंदी में अंकन सही नहीं किया गया है। उपरोक्त वर्णित भूमि का सक्षम अधिकारी द्वारा नमक उत्पादन हेतु संपरिवर्तन किया हुआ है। जिसके साक्ष्य स्वरूप संपरिवर्तित आदेश व बैचाननामा की प्रतियां संलग्न है। अतः वादी का वाद कानूनन काबिले खारिज है, जो खारिज किया जाकर तहसीलदार नावां को उक्त संपरिवर्तीत भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में अंकन किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

उभय पक्षकारान् को उक्त प्रकरण में प्रस्तुत जवाब पत्र व साक्ष्य दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध कराई। जिसका जवाबुल जवाब वादी/राजपैरोकार ने नहीं देना चाहा तथा जवाब दावा को स्वीकार किया। चूंकि राजपैरोकार/वादी ने वादपत्र में प्रस्तुत जवाबदावा को स्वीकार किया जा चुका है। अतः प्रकरण में तनकीयात की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है तथा ना ही साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत होती है। उभय पक्ष के निवेदन पर साक्ष्यवादी तथा प्रतिवादी बन्द की गई तथा मिसल वास्ते बहस नियत की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.09.14 14:41:37 IST
Reason: SelfAttested

उभय पक्षकारान् की बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण पत्र में प्रस्तुत दस्तावेजात् के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में वर्णित ग्राम जाबदीनगर तहसील नावां के खसरा नं. 165 रकबा 1.25 हैक्टैयर सम्पूर्ण भूमि का तहसीलदार (विहित प्राधिकारी) नावां द्वारा जरिये आदेशांक : राजस्व/9596 दिनांक 02.05.199 से संपरिवर्तन किया हुआ है। जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

खसरे की भूमि का संपरिवर्तन होने के पश्चात राजस्व रिकॉर्ड में अंकन का काम राजस्व अधिकारियो/कार्मिकों का होता है, जिसका खामियाजा प्रार्थी किस कारण भुगते। अर्थात Record of Right में नाम दर्ज नहीं हुआ, जबकि भूमि की किस्म परिवर्तन किये जाने संबंधी आदेश वादी पक्ष को दिनांक 02.05.1996 में ही प्रोद्भूत हो गये थे, केवल Fiscal Proceeding (राजकोषीय कार्यवाही) पूर्ण नहीं हुई। इसी प्रकार उक्त भूमि का बैचान भी खातेदार गोपीराम ने प्रतिवादी पक्षकार बिरदाराम को जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा के किया गया है। जिसका भी अंकन राजस्व रिकॉर्ड में नहीं किया गया। राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार अंकन किये जाने संबंधी कार्यवाही राजस्व अधिकारियो/कर्मचारियों द्वारा ही सम्पादित की जाने का प्रावधान है।

अतः हमारी राय में वादग्रस्त भूमि का संबंधित खातेदार गोपीराम पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी जाबदीनगर द्वारा कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ (नमक उत्पादन) सम्परिवर्तन संबंधी आदेश सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार नावां से प्राप्त की गई है तथा उक्त भूमि का बैचाननामा अप्रार्थी बोदूराम के पक्ष में किया गया है, जिसका भी नामान्तरण हस्तान्तरण तहसीलदार नावां द्वारा नहीं किया गया है। इस प्रकार उक्त वर्णित भूमि अकृषि प्रयोजनार्थ विधिवत् स्वीकृति/अनुमति प्राप्त की जाकर उपयोग/उपभोग की जा रही है।

अतः वादी द्वारा विवादग्रस्त भूमि का उपभोग/उपयोग राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान के अनुसार किया जा रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की मंशा के विपरित प्रतिवादी पक्ष द्वारा उपभोग/उपयोग नहीं किया जा रहा/गया है। अतः वादी वाद अधीन धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वादग्रस्त भूमि ग्राम जाबदीनगर तहसील नावां के खसरा नं. 165 रकबा 1.2500 हैक्टयेर को बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिये जाने के कारण सिवाय चक घोषित किये जाने के संबंध में प्रथम दृष्टयां स्वीकार योग्य नहीं प्रतीत होता है।

— : : आदेश : : —

अतः वाद वादी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नावां विरूद्ध प्रतिवादी बिरदाराम पुत्र छोगाराम जाति मेघवाल निवासी सरगोठ द्वारा ग्राम जाबदीनगर तहसील नावां के खसरा नं. 165 रकबा 1.2500 हैक्टेयर भूमि के संबंध में अधीन धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को [illegible] सरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.09.14 14:41:37 IST
Reason: SelfAttested

(विश्वामित्र मीना)
पीठासीन अधिकारी एवं पदेन
सहायक [illegible] नावां
नावां (डीडवाना-कुचामन)